

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे

2016 का आपराधिक विविध No.41314

उत्पन्न थाना कांड सं. - वर्ष - 1111 थाना-जिला

=====

1. राम पदारथ सिंह पुत्र - स्वर्गीय बंसी सिंह
 2. श्री कांत सिंह, पुत्र - श्री राम पदारथ सिंह
 3. गणेश सिंह पुत्र - श्री राम पदारथ सिंह
 4. संजय कुमार @संजय सिंह पुत्र - श्री राम पदारथ सिंह
 5. आदित्य सिंह पुत्र - श्री राम पदारथ सिंह
- सभी निवासी गाँव -कज़िया, पुलिस स्टेशन-अकबरपुर, जिला - नवादा

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. सरोजनी देवी, पत्नी श्री जय नंदन प्रसाद सिंह, गाँव-कज़िया, पुलिस स्टेशन अकबरपुर, जिला- नवादा

..... विपक्षीगण

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री संजय कुमार, अधिवक्ता श्री जय प्रकाश सिंह, अधिवक्ता,
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री संजय कुमार पांडे, एपीपी
ओ. पी. नं. 2 के लिए	:	श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनीष कुमार नं. 2, अधिवक्ता श्री आर्यन सिंह, अधिवक्ता श्री राम कुमार, अधिवक्ता

=====

दंड प्रक्रिया संहिता --- धारा 144-148, 482 --- धारा 145, 146 सीआरपीसी के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार। --- पुनरीक्षण आदेश को रद्द करने की याचिका जिसके तहत और जिसके तहत याचिकाकर्ता की जमीन की संपत्ति को कुर्क करने के कार्यकारी

मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा गया था --- निष्कर्ष: धारा 145 (1) सीआरपीसी के तहत प्रारंभिक आदेश देने के बाद, कार्यकारी मजिस्ट्रेट विषय संपत्ति को कुर्क कर सकता है यदि वह मामले को आपात स्थिति में समझता है --- धारा 146 (1) सीआरपीसी के तहत परिकल्पित आपात स्थिति का अर्थ शांति भंग की आशंका से कहीं अधिक है --- जब शांति भंग आसन्न प्रतीत होती है, केवल तभी स्थिति को "आपातकाल" कहा जा सकता है --- धारा 146 (1) सीआरपीसी को पढ़ने से पता चलता है कि विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित धारा 146 सीआरपीसी के तहत आदेश प्रारंभिक पर निर्भर है धारा 145(1) Cr.PC के तहत पारित आदेश, इसलिए, धारा 145(1) Cr.PC के तहत पारित प्रारंभिक आदेश में दोष धारा 146(1) Cr.PC के तहत पारित आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना और कानून में त्रुटिपूर्ण बना देगा --- धारा 145 Cr.PC के तहत जांच इस सवाल तक सीमित है कि रिपोर्ट या सूचना की तारीख पर वास्तविक कब्जे में कौन था, संपत्ति के शीर्षक और उस पर कब्जे के अधिकार के बावजूद और इसका उद्देश्य एक त्वरित और संक्षिप्त उपाय प्रदान करना है ताकि विवाद को कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करके शांति भंग होने से रोका जा सके--- धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए पूर्व शर्त यह है कि विषयगत संपत्ति के वास्तविक कब्जे से संबंधित विवाद के कारण सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका के बारे में कार्यकारी मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो---सार्वजनिक शांति और सौहार्द की अवधारणा निजी विवादों से उत्पन्न कुछ व्यक्तियों के बीच तनाव के उदाहरणों की तुलना में बहुत व्यापक अवधारणा है---यदि किसी विवाद का प्रभाव केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है जो विवाद के पक्षकार हैं, तो ऐसा विवाद सार्वजनिक शांति और सौहार्द के भंग होने की कोई आशंका नहीं पैदा कर सकता है; ऐसे निजी सिविल विवाद सिविल न्यायालय के विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं---कार्यकारी मजिस्ट्रेटों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करें और धारा 145 सीआरपीसी के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग केवल उन मामलों में करें जहां सार्वजनिक शांति और

सौहार्द के भंग होने की आशंका हो---- यदि विचाराधीन संपत्ति के संबंध में स्वामित्व और कब्जे से संबंधित सिविल मुकदमा सिविल न्यायालय में लंबित है, तो धारा 145 सीआरपीसी के तहत समानांतर कार्यवाही स्वीकार्य नहीं है --- वर्तमान मामले में सर्कल अधिकारी की रिपोर्ट से उभरने वाले तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, अधिक से अधिक पार्टियों के बीच प्रश्नगत भूमि संपत्ति के संबंध में निजी विवाद था जिसके लिए पार्टियों को सिविल न्यायालय में जाने की आवश्यकता थी --- कार्यकारी अधिकारी के लिए धारा 145 सीआरपीसी के तहत प्रारंभिक आदेश पारित करने का कोई अवसर नहीं था और, इस तरह, यह धारा 146 (1) सीआरपीसी के तहत पारित बाद के विवादित आदेश को अमान्य करता है --- विवादित आदेश में, विद्वान कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने ऐसे भौतिक तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया है जिन्हें आकस्मिक स्थिति कहा जा सकता है --- विवादित आदेश को अलग रखा गया --- याचिका स्वीकार की गई। (पैरा- 18, 19, 22, 26, 27, 28, 37-39)

2008 (3) पीएलजेआर 604, 1998 क्रि.एल.जे. 3794, 1978 क्रि.एल.जे. 671, (2013) 3 पीएलजेआर 392, (2013) 3 एससीसी 366, 2013 एससीसी ऑनलाइन ऑल 4840, (2013) 2 गौहाटी लॉ रिपोर्ट्स 837, 2012 क्रि.एल.जे. (एनओसी) 375 (गौ), (2004) 1 एससीसी 438, (2002) 3 एससीसी 700, (1994) 1 एससीसी 471, (1978) 1 एससीसी 210, 1968 एससीसी ऑनलाइन एससी 5, एआईआर 1959 एससी 960, (2008 (एनओसी) 479 (गौ), 1993 एमएचएलजे 1409, 1982 एससीसी ऑनलाइन गौ 35, (2006) 11 एससीसी 66, 2006 (2) पीएलजेआर 181, (2006 एससीसी ऑनलाइन पैट 263), 2005 (2) पीएलजेआर 506, (2004) 13 एससीसी 421, (2001) 10 एससीसी 758, (2000) 4 एससीसी 440, (2000) 3 पीएलजेआर 90, 2000 एससीसी ऑनलाइन पैट 1095, (1994) 1 एससीसी 471, (1985) 1 एससीसी 427

.....संदर्भित।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

गणपूर्ति/समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

तारीख:28-01-2025

वर्तमान याचिका, धारा 482 दं प्र सं के तहत, याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 16.05.2016 के अक्षेपित आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो वर्ष 2016 के 2015/16 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 44 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III, नवादा द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायालय ने 2014 की संख्या 1M वाली कार्यवाही में विद्वान अवर प्रमंडल दंडाधिकारी , राजौली, जिला-नवादा द्वारा पारित दिनांक 27.10.2014 के आदेश जिसके तहत विद्वान कार्यकारी दंडाधिकारी ने विषय भूमि संपत्ति को कुर्क किया है, में कोई अवैधता नहीं पाते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।

2. इस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि इसमें विरोधी पक्ष संख्या 2, सरोजनी देवी ने धारा 144 दं प्र सं के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए विद्वान अवर प्रमंडल दंडाधिकारी के समक्ष 2013 की कार्यवाही संख्या 50M वाली एक याचिका दायर की और उसके बाद, धारा 144 दं प्र सं के तहत कार्यवाही शुरू की गई। हालाँकि, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान कार्यकारी दंडाधिकारी ने धारा 144 दं प्र सं के तहत कार्यवाही बंद कर दी और पक्षों को सलाह दी कि यदि ऐसा सलाह दी जाती है तो वे सिविल कोर्ट के समक्ष मालिकाना हक का मुकदमा दायर करें।

3. तत्पश्चात, उक्त सरोजनी देवी ने धारा 145 दं प्र सं के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 1 एकड़ 37 डिसमिल पर खाता संख्या 135 और प्लॉट संख्या 1544,1546, 1546/2249 वाली भूमि संपत्ति के संबंध में दिनांक 07.12.2013 को विद्वान अवर प्रमंडल दंडाधिकारी के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं उसे जबरन बेदखल करने पर तुले हुए थे, जिससे शांति भंग हो सकती है।

इस याचिका के अनुसरण में, विद्वान कार्यकारी दंडाधिकारी ने एक सप्ताह के भीतर प्रभारी अधिकारी और अंचल अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। इसके बाद, अंचल अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दलील करते हुए कहा कि भूमि खरीदारों के कब्जे में हैं, लेकिन संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में पक्षों के बीच विवाद है। हालांकि, उन्होंने बताया कि विवाद के कारण शांति भंग होने की आशंका है।

4. अंचल अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, विद्वान कार्यकारी दंडाधिकारी ने धारा 145 दं प्र सं के तहत कार्यवाही शुरू करते हुए दिनांक 28.01.2014 का अक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि अंचल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, कब्जे के संबंध में पक्षों के बीच विवाद है जिससे शांति भंग हो सकती है। पक्षकारों को कार्यवाही के बारे में सूचित करने का भी निर्देश दिया गया।

5. बाद में, यहां ओ. पी. संख्या 2, सरोजनी देवी ने विषय भूमि संपत्ति की कुर्की के लिए विद्वान कार्यकारी दंडाधिकारी के समक्ष दिनांक 22.10.2014 पर एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि भूमि पर धान की फसल खड़ी है और याचिकाकर्ता उसी फसल की कटाई करने पर तुले हुए हैं, जिससे रक्तरंजित घटना हो सकती है। इसके बाद, कार्यकारी दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146(1) के तहत दिनांक 27.10.2014 को भू-संपत्ति को कुर्क करने का अक्षेपित आदेश पारित किया और स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया, यह देखते हुए कि आवेदन की समीक्षा से यह प्रतीत होता था कि पक्षों के बीच तनाव था और शांति भंग होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने अक्षेपित आदेश में यह भी देखा कि भूमि पर कब्जे को लेकर भ्रम था और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना थी।

6. याचिकाकर्ताओं द्वारा 2016 की 2015/16 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 44 में दिनांक 27.10.2014 के कुर्की के आदेश को सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई

थी। हालांकि, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई और कुर्की के आदेश को बरकरार रखा गया। इसलिए, वर्तमान याचिका दाखिल की गई।

7. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि सरोजनी देवी, ओ. पी. सं. 2 ने दिनांक 02.01.2014 को विद्वत उप न्यायाधीश-1, नवादा के न्यायालय में 2014 का टाईटल मुकदमा सं. 05 वाला एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया गया है, जिसमें 28 1/2 डिसमील वाली भूमि के खाता सं. 135 और भूखंड सं. 1544, 1546, 1546/2249 के संबंध में भूमि संपत्ति के कब्जे की पुष्टि के लिए दायर किया है, जो न्यायालय के विचाराधीन है।

8. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, राज्य के लिए एपीपी और विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील दलील करते हैं कि अक्षेपित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हैं। अपनी दलील की पुष्टि करने के लिए, वह आगे दलील करते हैं कि मामले के कथित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, धारा 145 दं प्र सं के तहत कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, कार्यवाही शुरू करने के लिए मूलभूत तथ्यों और परिस्थितियों के अभाव में धारा 145 दं प्र सं के तहत कार्यवाही शुरुआत से ही दूषित किया गया है। कार्यकारी दंडाधिकारी धारा 145 दं प्र सं के तहत केवल तभी अधिकार क्षेत्र ग्रहण करता है जब वास्तविक कब्जे के बारे में विवाद होता है और कब्जे में पक्ष को जबरन बेदखल करने का प्रयास होता है। लेकिन अंचल अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, भूमि के खरीदार पहले से ही कब्जे में हैं, हालांकि संपत्ति के अधिकार और स्वामित्व और उसके कब्जे के अधिकार के बारे में प्रतिद्वंद्वी दावा है। इसलिए, ऐसा विवाद धारा 145 दं प्र सं के दायरे में नहीं आता है। यह दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विषय है और ओ. पी. संख्या 2, सरोजनी देवी पहले ही संपत्ति के स्वामित्व और उसके कब्जे के अधिकार के संबंध में एक दीवानी मुकदमा दायर कर चुकी हैं।

10. उन्होंने आगे कहा कि कथित तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, सार्वजनिक शांति और शांतिपूर्ण स्थिति के उल्लंघन की कोई आशंका नहीं है। अधिक से अधिक, यह विवाद के पक्षों से जुड़ा निजी विवाद है। बड़े पैमाने पर कोई भी जनता विवाद से प्रभावित नहीं होती है या इसमें शामिल नहीं होती है। इसके अलावा, विवाद संपत्ति के स्वामित्व और उसके कब्जे के अधिकार के संबंध में है जो सिविल कोर्ट का विषय है न कि धारा 145 दं प्र सं के तहत कार्यकारी दंडाधिकारी का।

11. वह आगे दलील करता है कि धारा 145 दं प्र सं के तहत संपत्ति और समानांतर कार्यवाही के संबंध में स्वामित्व और कब्जे के अधिकार के संबंध में पक्षों के बीच दीवानी मुकदमा पहले से ही लंबित है और विषय संपत्ति की कुर्की अनुचित है और कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। दोनों कार्यवाहियाँ एक साथ नहीं चल सकतीं।

12. वह आगे दलील करता है कि धारा 146 (1) दं प्र सं के तहत विषय भूमि संपत्ति की कुर्की के लिए आकस्मिक स्थिति अनिवार्य है और विद्वान कार्यकारी दंडाधिकारी को उन तथ्यों को बताने की आवश्यकता है जो बताते हैं कि विषय भूमि संपत्ति की कुर्की की आवश्यकता वाली आकस्मिक स्थिति है। हालाँकि, विद्वान कार्यकारी दंडाधिकारी के अक्षेपित आदेश में भौतिक तथ्यों और परिस्थितियों का ऐसा कोई विवरण नहीं है जो यह दर्शाता हो कि कोई आकस्मिक स्थिति थी।

13. हालाँकि, राज्य के लिए विद्वान एपीपी और ओ. पी. नंबर 2 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने अक्षेपित आदेश का बचाव यह दलील करते हुए कहते हैं कि इसमें कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है और इसलिए, वर्तमान याचिका खारिज की जा सकती है।

14. ओ. पी. नं. 2 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील आगे दलील करते हैं कि दीवानी न्यायालय के समक्ष लंबित दीवानी मुकदमा भूमि के केवल छोटे हिस्से के संबंध में है जो धारा 145 दं प्र सं के तहत कार्यवाही का विषय है।

15. वह आगे दलील करते हैं कि आरोप के अनुसार, स्वामित्व और कब्जे के संबंध में विवाद के कारण, सार्वजनिक शांति के उल्लंघन की आशंका है। इसलिए, विद्वत दंडाधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही बनाए रखने योग्य है और अक्षेपित आदेश में कोई कमजोरी नहीं है।

16. मैंने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

17. यहाँ, इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या धारा 146 (1) के तहत विषय भूमि संपत्ति की कुर्की कानून की नजर में टिकाऊ है या नहीं? धारा 146 दं प्र सं इस प्रकार है:

“146. विवाद के विषय को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति—(1) यदि दंडाधिकारी धारा 145 की उप-धारा (1) के तहत आदेश देने के बाद किसी भी समय मामले को आपात स्थिति का मामला मानता है, या यदि वह यह निर्णय लेता है कि तब कोई भी पक्षकार ऐसे कब्जे में नहीं था जैसा कि धारा 145 में निर्दिष्ट किया गया है, या यदि वह खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि उनमें से कौन विवाद के विषय के ऐसे कब्जे में था, तो वह विवाद के विषय को तब तक कुर्क कर सकता है जब तक कि एक सक्षम न्यायालय उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर लेता है:

बशर्ते कि ऐसा दंडाधिकारी किसी भी समय कुर्की वापस ले सकता है यदि वह संतुष्ट है कि विवाद के विषय के संबंध में शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है।

(2) जब दंडाधिकारी विवाद के विषय को कुर्क करता है, तो वह, यदि किसी सिविल न्यायालय द्वारा विवाद के ऐसे विषय के संबंध में कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है, तो ऐसी व्यवस्था कर सकता है जो वह संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है या यदि वह उचित समझता है, तो उसका रिसीवर नियुक्त कर सकता है, जिसे दंडाधिकारी के नियंत्रण के अधीन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत नियुक्त रिसीवर की सभी शक्तियां होंगी।

बशर्ते कि किसी सिविल न्यायालय द्वारा विवाद के विषय के संबंध में बाद में किसी रिसीवर की नियुक्ति की स्थिति में, दंडाधिकारी -

(क) अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद के विषय का कब्जा सिविल कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर को सौंप दे और उसके बाद वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को डिस्चार्ज कर देगा।

(ख) ऐसे अन्य आनुषंगिक या परिणामी आदेश दे सकते हैं जो न्यायसंगत हों। ”

(जोर दिया गया)

18. यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि धारा 145 (1) दं प्र सं के तहत प्रारंभिक आदेश देने के बाद, कार्यकारी दंडाधिकारी धारा 146 (1) दं प्र सं के अनुसार निम्नलिखित तीन स्थितियों में विषय संपत्ति को कुर्क कर सकता है:

(i) यदि वह मामले को आपातकाल का मामला मानता है, या

(ii) यदि वह जांच के अनुसार निर्णय लेता है कि धारा 145 दं प्र सं के संदर्भ में किसी भी पक्ष के पास विषय संपत्ति का कब्जा नहीं था, या

(iii) यदि वह स्वयं को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि कौन सा पक्ष विवाद के कब्जे में है।

19. यहाँ, यह इंगित करना भी उचित होगा कि धारा 146 (1) दं प्र सं के तहत आपातकाल का मामला केवल शांति भंग होने की आशंका से कहीं अधिक है। जब शांति भंग होना आसन्न प्रतीत होता है, तभी स्थिति को "आपातकाल" कहा जा सकता है। इसके अलावा, कार्यकारी दंडाधिकारी से अपने आदेश में आकस्मिक स्थिति को दर्शाने वाले भौतिक तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख करने की आवश्यकता होती है ताकि उच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से स्थिति का आकलन कर सके और निष्पक्ष रूप से परीक्षण कर सके कि क्या कार्यकारी दंडाधिकारी ने अपनी संतुष्टि दर्ज करने के लिए अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग किया है। इस संबंध में, कोई निम्नलिखित न्यायिक उदाहरणों/पूर्व-निर्णयों का भी उल्लेख कर सकता है:

(i) **राम स्वरूप प्रसाद बनाम बिहार राज्य**

2008 (3) पीएलजेआर 604

(ii) चंद्र सक्सेना बनाम छठा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

1998 Cri.L.J. 3794

(iii) अमृत सिंह बनाम ज्ञानदेव शर्मा

1978 Cri.L.J. 671

20. धारा 146 (1) दं प्र सं से यह भी स्पष्ट होता है कि विवाद की ऐसी कुर्की तब तक जारी रहती है जब तक कि एक सक्षम न्यायालय यह निर्धारित नहीं करता है कि संपत्ति पर अधिकार और स्वामित्व और उस पर कब्जा करने का अधिकार किसके पास है। हालांकि, कार्यकारी दंडाधिकारी को किसी भी समय कुर्की वापस लेने का भी अधिकार है, अगर वह संतुष्ट है कि विवाद के विषय के संबंध में शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है।

21. धारा 146 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि यदि विवाद के विषय के संबंध में कोई रिसीवर पहले से ही किसी सिविल कोर्ट द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह संपत्ति की देखभाल के लिए जैसा उचित समझे व्यवस्था कर सकता है या वह अपने नियंत्रण के अधीन इसका एक रिसीवर नियुक्त कर सकता है। हालाँकि, यदि रिसीवर को सिविल कोर्ट द्वारा बाद में नियुक्त किया जाता है, तो दंडाधिकारी को अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को विवाद के विषय का कब्जा सिविल कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर को सौंपने का आदेश देना आवश्यक है, उसके द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित करते हुए।

22. धारा 146 (1) दं प्र सं के खाली पढ़ने से पता चलता है कि विद्वान कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा पारित धारा 146 दं प्र सं के तहत आदेश धारा 145 (1) दं प्र सं के तहत पारित प्रारंभिक आदेश पर निर्भर करता है। इसलिए, धारा 145 (1) दं प्र सं के तहत पारित प्रारंभिक आदेश में दोष धारा 146 (1) दं प्र सं के तहत पारित आदेश सहित बाद की कार्यवाही को अधिकार क्षेत्र के बिना और कानून में त्रुटिपूर्ण बना देगा। [साथ ही श्रीकांत प्रसाद @चिरकुट साह बनाम बिहार राज्य (2013) 3 पीएलजेआर 392] का संदर्भ लें।

23. अब सवाल यह है कि धारा 145 दं प्र सं के तहत कार्यकारी दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र की सीमा और दायरा क्या है। . धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता इस प्रकार है:-

“145. प्रक्रिया जहाँ भूमि या जल से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना हो। - (1) जब भी कोई कार्यकारी दंडाधिकारी किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य जानकारी पर कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं के संबंध में शांति भंग करने की संभावना वाला विवाद मौजूद है, से संतुष्ट होता है, तो वह लिखित रूप में एक आदेश देगा, जिसमें उसके संतुष्ट होने के आधार बताए जाएंगे, और ऐसे विवाद में संबंधित पक्षों से एक निर्दिष्ट तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा अपने न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा, और विवाद के विषय के वास्तविक कब्जे के तथ्य के संबंध में अपने-अपने दावों के लिखित बयान देगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भूमि या जल" पद में भवन, बाजार, मत्स्य पालन, फसलें या भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति का किराया या लाभ शामिल हैं।

(3) आदेश की एक प्रति इस संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को समन की तामील की जाएगी जैसा दंडाधिकारी निर्देशित कर सकता है, और कम से कम एक प्रति विवाद के विषय के निकट या किसी प्रमुख स्थान पर चिपका कर प्रकाशित की जाएगी।

(4) दंडाधिकारी तब, विवाद के विषय को रखने के अधिकार के लिए किसी भी पक्ष के गुण या दावों के संदर्भ के बिना, इस प्रकार दिए गए बयानों का अध्ययन करेगा, पक्षों को सुनेगा, ऐसे सभी साक्ष्य प्राप्त करेगा जो उनके द्वारा दलील किए जा सकते हैं, ऐसे और साक्ष्य, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझता है, और यदि संभव हो, तो यह तय करेगा कि उप-धारा (1) के तहत उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर कोई और कौन से पक्षकार विवाद के विषय के कब्जे में थे:बशर्ते/परंतु कि यदि दंडाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी पक्ष को दंडाधिकारी द्वारा किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्राप्त करने की तारीख से पहले या उस तारीख के बाद और उप-धारा (1) के तहत उसके आदेश की तारीख से पहले अगले दो महीने के भीतर जबरन और गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया है, तो वह उस पक्ष को इस तरह से बेदखल कर सकता है जैसे कि वह पक्ष उप-धारा (1) के तहत इस आदेश की तारीख को कब्जे में था।

(5) इस धारा की कोई भी बात किसी भी पक्ष को या किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति को यह दिखाने से नहीं रोकेगी कि उपरोक्त कोई विवाद मौजूद नहीं है या मौजूद नहीं है और ऐसे मामले में दंडाधिकारी अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन इस तरह के रद्द होने के अधीन, उप-धारा (1) के तहत दंडाधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

(6) (क) यदि दंडाधिकारी यह निर्णय लेता है कि पक्षों में से एक पक्ष कथित/उक्त विषय के ऐसे कब्जे में था, या उप-धारा (4) के परंतुक के तहत ऐसा माना जाना चाहिए, तो वह एक आदेश जारी करेगा जो ऐसे पक्ष को कानून के सम्यक अनुक्रम में उससे बेदखल होने तक उसके कब्जे का हकदार घोषित करेगा, और इस तरह के निष्कासन तक ऐसे कब्जे के सभी व्यवधान को प्रतिबंधित करेगा; और जब वह उप-धारा (4) के परंतुक के तहत आगे बढ़ेगा, तो जबरन और गलत तरीके से बेदखल किए गए पक्ष को कब्जा में बहाल कर सकता है।

(ख) इस उप-धारा के तहत किया गया आदेश उप-धारा (3) में निर्धारित तरीके से लागू और प्रकाशित किया जाएगा।

(7) जब ऐसी किसी कार्यवाही में किसी पक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो दंडाधिकारी मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि को कार्यवाही में एक पक्षकार बना सकता है और उसके बाद जांच जारी रखेगा, और यदि कोई सवाल उठता है कि ऐसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए मृतक पक्ष का कानूनी प्रतिनिधि कौन है, तो मृतक पक्ष के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को उसमें पक्षकार बनाया जाएगा।

(8) यदि दंडाधिकारी की राय है कि संपत्ति की कोई फसल या अन्य उपज, जो उसके समक्ष लंबित इस धारा के तहत किसी कार्यवाही में विवाद का विषय है, शीघ्र और प्राकृतिक क्षय के अधीन है, तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या बिक्री के लिए आदेश दे सकता है, और जांच पूरी होने पर, ऐसी संपत्ति या उसकी बिक्री-आय के निपटान के लिए ऐसा आदेश देगा, जो वह उचित समझे।

(9) दंडाधिकारी, यदि वह ठीक समझे, इस धारा के अधीन कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, किसी भी साक्षी को सम्मन जारी कर सकेगा जिसमें उसे उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या चीज पेश करने का निर्देश दिया जाएगा।

(10) इस धारा में कुछ भी धारा 107 के तहत आगे बढ़ने के लिए दंडाधिकारी की शक्तियों के प्रतिकूल नहीं माना जाएगा। ”

(जोर दिया गया)

24. धारा 145 Cr.PC, 1973 के अध्याय X के तहत आती है, जो सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने से संबंधित है और धारा 145 से 148 दं प्र सं अचल संपत्ति के विवाद से संबंधित है।

25. धारा 145 से 148 तक के अवलोकन से, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि इसमें वैधानिक प्रावधान कार्यकारी दंडाधिकारी को भूमि या पानी के वास्तविक कब्जे के विवाद के कारण सार्वजनिक शांति के उल्लंघन की आशंका के मामले में निवारक उपाय करने का अधिकार देकर सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए हैं। जब कार्यकारी दंडाधिकारी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या किसी अन्य जानकारी से संतुष्ट हो जाता है कि इस तरह के विवाद से शांति भंग होने की संभावना है, तो वह ऐसी संतुष्टि का आधार बताते हुए धारा 145 (1) दं प्र सं के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है और विवाद के विषय के वास्तविक कब्जे के संबंध में संबंधित पक्षों को सुनने के लिए कदम उठा सकता है। हालाँकि, ऐसी सुनवाई के दौरान, दंडाधिकारी को विवाद के विषय को रखने के लिए किसी भी पक्ष के अधिकार या स्वामित्व की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाने की आवश्यकता है कि रिपोर्ट या जानकारी के समय कौन सा पक्ष वास्तविक कब्जे में था। हालाँकि, यदि कार्यकारी दंडाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी भी पक्ष को उस तारीख से पहले दो महीने के भीतर बलपूर्वक और गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया है, जिस दिन उसे रिपोर्ट या जानकारी प्राप्त हुई थी या उस तारीख के बाद और उप-धारा (1) के तहत अपने आदेश की तारीख से पहले, तो वह पक्ष को इस तरह से बेदखल हुआ माना सकता है, जैसे कि वह पक्ष कब्जे में था और उसे उस पक्ष, जिसे इस तरह से बलपूर्वक और गलत तरीके से बेदखल किया, को कब्जा बहाल करने का अधिकार है। और इस तरह के कब्जे के व्यवधान को प्रतिबंधित करने का आदेश पारित किया, जब तक कि कानून के सम्यक् अनुक्रम में उसे बेदखल नहीं किया जाता है।

26. इसलिए, धारा 145 दं प्र सं के तहत जांच इस सवाल तक सीमित है कि रिपोर्ट या जानकारी की तारीख को वास्तविक कब्जे में कौन था, चाहे संपत्ति का स्वामित्व और उसे रखने का अधिकार कुछ भी हो। प्रावधानों का उद्देश्य एक त्वरित और संक्षिप्त उपाय प्रदान करना है ताकि समाधान के लिए कार्यकारी दंडाधिकारी को विवाद दलील करके शांति भंग को रोका जा सके, जैसा कि उस संपत्ति पर कब्जे के सवाल पर विवाद करने वाले पक्षों के बीच होता है। इस संबंध में, कोई निम्नलिखित न्यायिक उदाहरणों/पूर्व-निर्णयों का भी उल्लेख कर सकता है:

- (i) **अशोक कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य**
(2013) 3 एस. सी. सी. 366
- (ii) **शरद यादव @गप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।**
2013 एससीसी ऑनलाइन ऑल 4840
- (iii) **मधु शर्मा बनाम अजीत शर्मा**
(2013) 2 गुवाहाटी लॉ रिपोर्ट 837
- (iv) **ब्रह्मपुत्र आयरन एंड स्टील कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रेमचंद तोलाराम बबना चैरिटेबल ट्रस्ट, असम,**
2012 Cri.L.J। (एन. ओ. सी.) 375 (गौ)
- (v) **शांति कुमार पांडा बनाम शकुंतला देवी**
(2004) 1 एस. सी. सी. 438
- (vi) **रणबीर सिंह बनाम दलबीर सिंह और अन्य।**
(2002) 3 एससीसी 700
- (vii) **प्रकाश चंद सचदेवा बनाम पी. आर. और अन्य**
(1994) 1 एस. सी. सी. 471
- (viii) **चंदू नाइक बनाम सीताराम बी. नाइक**
(1978) 1 एस. सी. सी 210
- (ix) **आर. एच. भूटानी बनाम मणि जे. देसाई**
1968 एससीसी ऑनलाइन एससी 5
- (x) **भिंका बनाम चरण सिंह,**
ए. आई. आर 1959 एस. सी. 960

27. वैधानिक प्रावधानों से यह भी पता चलता है कि धारा 145 दं प्र सं के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट या जानकारी के अनुसार, विषय संपत्ति के वास्तविक कब्जे से संबंधित विवाद के कारण सार्वजनिक शांति के उल्लंघन की आशंका के संबंध में कार्यकारी दंडाधिकारी की संतुष्टि है। ऐसी संतुष्टि धारा 145 (1) दं प्र सं के तहत किए गए प्रारंभिक आदेश में उल्लिखित आधार पर आधारित होनी चाहिए।

28. यह बताना भी उचित है कि सार्वजनिक शांति और स्थिरता की अवधारणा भूमि संपत्ति के संबंध में उनके बीच निजी विवादों से उत्पन्न होने वाले कुछ व्यक्तियों के बीच तनाव के उदाहरणों की तुलना में बहुत व्यापक अवधारणा है। सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करती है। यदि किसी भी विवाद का प्रभाव केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित है जो विवाद के पक्षकार हैं, तो इस तरह का विवाद सार्वजनिक शांति और स्थिरता के उल्लंघन की कोई आशंका नहीं दे सकता है। इस तरह के निजी दीवानी विवाद दीवानी न्यायालय के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय X के तहत असाधारण अधिकारिता कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को इस तरह के उल्लंघन को शुरुआत में ही समाप्त करके सार्वजनिक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया था।

29. इसलिए, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों से अपेक्षा की जाती है कि वे धारा 145 दं प्र सं के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग केवल उन मामलों में करें जहां सार्वजनिक शांति और स्थिरता के उल्लंघन की आशंका हो। उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने और दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से बचना चाहिए। कार्यकारी मजिस्ट्रेटों द्वारा अधिकार क्षेत्र का रंगीन/रंग-रूपी/छद्म प्रयोग अध्याय X दं प्र सं के उद्देश्य और भावना के खिलाफ होगा और यह दीवानी न्यायालयों को निरर्थक बना देगा और लोगों को अवैध और अनावश्यक कार्यवाही से परेशान किया जाएगा। हमारे कानूनी ढांचे में, शक्ति

और अधिकार क्षेत्र को राज्य के विभिन्न साधनों के लिए परिभाषित किया गया है और किसी भी साधन से इसके अधिकार क्षेत्र को पार करने और दूसरों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने की उम्मीद नहीं की जाती है। इस संबंध में, कोई निम्नलिखित न्यायिक उदाहरणों/पूर्व-निर्णयों का भी उल्लेख कर सकता है:

- (i) **मो. अंसारुद्दीन बनाम असम राज्य**
(2008) Cri.L.J. (एन. ओ. सी.) 479 (गौ)
- (ii) **क्रिस्टलिन कोस्टा बनाम गोवा राज्य**
1993 एमएचएलजे 1409
- (iii) **तरुलता देवी बनाम निखिल बंधु मिश्रा**
1982 एस. सी. सी. ऑनलाइन गौ 35

30. स्वामित्व और कब्जे के अधिकार के संबंध में विवाद का समाधान नागरिक/सिविल कानून में निहित है और संबंधित पक्ष को अपने नागरिक अधिकारों और हितों के निर्णय के लिए सिविल न्यायालय का रुख करना आवश्यक है। उन्हें निषेधाज्ञा या रिसीवर की नियुक्ति के माध्यम से विषय संपत्ति की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश भी मिल सकता है। केवल सार्वजनिक शांति और स्थिरता की आशंका को जन्म देने वाले पक्षों के वास्तविक कब्जे के बारे में विवाद दं प्र सं के अध्याय X के तहत कार्यकारी दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है।

31. यह इंगित करना भी उचित है कि यदि स्वामित्व और कब्जे के संबंध में एक दीवानी मुकदमा एक दीवानी न्यायालय में विचाराधीन संपत्ति के संबंध में लंबित है, तो धारा 145 दं प्र सं के तहत एक समानांतर कार्यवाही की अनुमति नहीं है। यह जनता के समय और धन की सरासर बर्बादी होगी। दीवानी अदालत पक्षों के बीच संपत्ति के वास्तविक कब्जे के संबंध में विवाद पर निर्णय लेने और दीवानी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेश पारित करने के लिए भी सक्षम है। इसलिए, कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा धारा 145 दं प्र सं के तहत समानांतर आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देने से कोई उद्देश्य पूरा

नहीं होगा। यह बिना कहे चला जाता है कि धारा 145 दं प्र सं के तहत कार्यवाही का परिणाम दीवानी मुकदमे के परिणाम के अधीन है और दीवानी न्यायालय का आदेश आपराधिक न्यायालयों पर बाध्यकारी है। इसलिए, धारा 145 दं प्र सं के तहत समानांतर कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, यदि विचाराधीन भूमि संपत्ति के संबंध में दीवानी मुकदमा पहले से ही दीवानी न्यायालय में लंबित है। इस संबंध में, कोई निम्नलिखित न्यायिक उदाहरणों/पूर्व-निर्णयों का भी उल्लेख कर सकता है:

- (i) **कुंजबिहारी बनाम बलराम और अन्य**
(2006) 11 एससीसी 66
- (ii) **ज्ञानदेव शर्मा बनाम बिहार राज्य**
2006 (2) पीएलजेआर 181
- (iii) **रास बिहारी राय और अन्य बनाम बिहार राज्य**
(2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 263)
- (iv) **नंद किशोर प्रसाद साह बनाम बिहार राज्य,**
2005 (2) पीएलजेआर 506
- (v) **महारजहाँ बनाम दिल्ली राज्य**
(2004) 13 एस. सी. सी. 421
- (vi) **महांत राम सरन दास बनाम हरीश मोहन**
(2001) 10 एस. सी. सी. 758
- (vii) **अमरेश तिवारी बनाम लालता प्रसाद दुबे**
(2000) 4 एससीसी 440
- (viii) **अताहुल हक और अन्य बनाम मो. अलाउद्दीन**
(2000) 3 पीएलजेआर 90
- (ix) **चंद्र शेखर सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य,**
(2000 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 1095)
- (x) **प्रकाश चंद सचदेवा बनाम राज्य और अन्य**
(1994) 1 एस. सी. सी. 471
- (xi) **राम सुमेर पुरी महांत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**
(1985) 1 एस. सी. सी. 427

32. अब मामले पर आते हुए, मुझे पता चलता है कि ओ. पी. संख्या 2, सरोजनी देवी के आवेदन से, धारा 145 दं प्र सं के तहत विद्वान कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी और अंचल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, सरोजनी देवी के आवेदन के अनुसरण में, 28.01.2014 का प्रारंभिक आदेश विद्वान कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा धारा 145 दं प्र सं के तहत पारित किया गया था।

33. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपने आवेदन में, सरोजनी देवी ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता ने उसे अक्षेपित भूमि संपत्ति से जबरन बेदखल करने पर जोर दिया था। हालाँकि, अंचल अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि विद्वान कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा माँगा गया था, विचाराधीन भूमि खरीदारों के कब्जे में था। हालाँकि, रिपोर्ट के अनुसार, संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में पक्षों के बीच विवाद है और इसलिए अंचल अधिकारी ने पाया कि शांति भंग होने की आशंका है।

34. यहाँ, यह इंगित किया जा सकता है कि विद्वान कार्यकारी दंडाधिकारी ने अंचल अधिकारी की रिपोर्ट के आलोक में प्रारंभिक आदेश पारित किया था। लेकिन अंचल अधिकारी की रिपोर्ट में, संपत्ति के वास्तविक कब्जे या जबरन बेदखल करने के किसी भी प्रयास के बारे में किसी भी विवाद का कोई संदर्भ नहीं है। इस बात का भी कोई संदर्भ नहीं है कि बड़े पैमाने पर जनता प्रभावित होती है और विवाद में शामिल होती है। विवाद केवल संबंधित पक्षों तक ही सीमित है।

35. इस प्रकार, अंचल अधिकारी की रिपोर्ट से सामने आए तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, अधिक से अधिक विचाराधीन भूमि संपत्ति के संबंध में पक्षों के बीच निजी विवाद था, जिसके लिए पक्षों को दीवानी अदालत का रुख करना आवश्यक था। कार्यकारी अधिकारी के लिए धारा 145 दं प्र सं के तहत प्रारंभिक आदेश पारित करने का कोई अवसर नहीं था। उन्हें उक्त सरोजनी देवी के आवेदन के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही को बंद कर देना चाहिए था। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान कार्यकारी

दंडाधिकारी ने दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए अपनी अधिकारिता को पार कर लिया है, जिससे संबंधित पक्षकारों को उनके समक्ष अनावश्यक मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ा है। उन्हें पक्षों को दीवानी अदालत जाने की सलाह देनी चाहिए थी। मुझे आगे पता चला है कि सरोजनी देवी ने अधिकार, स्वामित्व और कब्जे के संबंध में विचाराधीन भूमि संपत्ति के कुछ हिस्से के संबंध में दीवानी अदालत में एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया है। इसलिए, धारा 145 दं प्र सं के तहत समानांतर कार्यवाही जारी रखने का कोई सवाल ही नहीं है।

36. यहां ओ. पी. संख्या 2 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के निवेदन/प्रस्तुति का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि दीवानी न्यायालय में लंबित दीवानी मुकदमा केवल भूमि के छोटे हिस्से के संबंध में है जो विद्वान कार्यकारी दंडाधिकारी के समक्ष धारा 145 दं प्र सं के तहत कार्यवाही का विषय है। लेकिन, यह इंगित किया जा सकता है कि अंचल कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, धारा 145 दं प्र सं के तहत शुरू की गई कार्यवाही को ही समाप्त किया जा सकता है। अंचल अधिकारी ने यह नहीं बताया है कि संपत्ति का वास्तविक कब्जे के संबंध में कोई विवाद था और बड़े पैमाने पर जनता का विवाद में रुचि है और विवाद में शामिल हैं और जब तक कि इस तरह के विवाद को कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा नहीं देखा जाता है, तब तक इलाके में शांति और स्थिरता का उल्लंघन हो सकता है। इस प्रकार, रिपोर्ट के अनुसार, यह एक निजी विवाद था जिसमें पक्षों को अपने अधिकारों और स्वामित्व के निर्णय के लिए दीवानी न्यायालय का रुख करने की आवश्यकता थी।

37. इस प्रकार, धारा 145 (1) दं प्र सं के तहत पारित प्रारंभिक आदेश अपने आप में स्थायी नहीं है, जिससे धारा 146 (1) Cr.PC. के तहत पारित बाद के अक्षेपित आदेश को दूषित/प्रभावित किया है।

38. मुझे आगे पता चलता है कि धारा 145 दं प्र सं के तहत जांच के समापन से पहले धारा 146 (1) दं प्र सं के तहत अक्षेपित कुर्की आदेश दिनांक 27.10.2014

को पारित किया गया है, जो उनके इस निष्कर्ष के आधार पर है कि पक्षों के बीच तनाव है और शांति भंग होने की संभावना है।

39. यहां यह इंगित करना उचित होगा कि धारा 145 दं प्र सं के तहत जांच के समापन से पहले, कार्यकारी दंडाधिकारी केवल एक आकस्मिक स्थिति के आधार पर और आकस्मिक स्थिति जैसा कि धारा 146 (1) दं प्र सं के तहत विचार किया गया है, संपत्ति को कुर्क कर सकता है जो केवल शांति भंग की आशंका से कहीं अधिक है। शांति का इस तरह का उल्लंघन आसन्न प्रतीत होना चाहिए। इसके अलावा, कार्यकारी दंडाधिकारी को अपने आदेश में आकस्मिक स्थिति को दर्शाते हुए भौतिक तथ्यों और परिस्थितियों को संदर्भित करने की भी आवश्यकता होती है, ताकि उच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से स्थिति का आकलन कर सके और निष्पक्ष रूप से परीक्षण कर सके कि क्या कार्यकारी दंडाधिकारी ने अपनी संतुष्टि के लिए अपने न्यायिक विवेक को लागू किया है। लेकिन अक्षेपित आदेश में, विद्वान कार्यकारी दंडाधिकारी ने ऐसे भौतिक तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया है जिन्हें आकस्मिक स्थिति कहा जा सकता है।

40. इसलिए, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अंचल अधिकारी की रिपोर्ट के बाद धारा 145 दं प्र सं के तहत कार्यवाही जारी रखने का विद्वान कार्यकारी दंडाधिकारी के लिए कोई अवसर नहीं था। उसे इसे छोड़ देना चाहिए था। पक्षकारों को सलाह दी जानी चाहिए थी कि वे अपने अधिकारों और स्वामित्व के निर्णय के लिए दीवानी अदालत का रुख करें। धारा 146 (1) दं प्र सं के तहत विषय संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित करने का कोई सवाल ही नहीं था।

41. तदनुसार, विद्वत कार्यकारी दंडाधिकारी के न्यायालय में लंबित धारा 145 और धारा 146 (1) दं प्र सं के तहत कार्यवाही को रद्द करते हुए वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है। वर्ष 2015/2016 के 16 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 44 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III, नवादा द्वारा पारित दिनांक 16.05.2016 का अक्षेपित

आदेश और 2014 की सं.-1 एम वाली कार्यवाही में विद्वान अवर प्रमंडल दंडाधिकारी, राजौली, जिला-नवादा द्वारा पारित दिनांक 27.10.2014 का आदेश भी रद्द किए जाते हैं।

(जितेन्द्र कुमार, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/शोएब

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।